

भारतीय जीवन बीमा निगम
(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत गठित)
आईआरडीआई पंजीकरण संख्या 512
केंद्रीय कार्यालय: 'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 021
दूरभाष नंबर: 022 - 2202 2079
ईमेल: investors@licindia.com; **वेबसाइट:** www.licindia.in

दूसरी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्यों की दूसरी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) मंगलवार, 22 अगस्त, 2023 को 1130 बजे (भा. म.स.), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित मद्दों पर कार्यवाही करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय:

- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24 बी, 24 सी और 25 बी के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (समेकित वित्तीय विवरणों सहित) पर विचार करना एवं बोर्ड और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को अपनाना।
- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 27 के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अपनाना।
- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 बी (1) के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुशंसित 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 3 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश पर विचार करना और घोषित करना।
- लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना और उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और, इस संबंध में विचार करना, यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित संकल्पों को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, निगम मेसर्स आरजीएन प्राइस एंड कंपनी चेन्नई (फर्म पंजीकरण संख्या: 002785एस) और मेसर्स एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी, मुंबई (फर्म पंजीकरण संख्या: 105016डब्ल्यू/डब्ल्यू-100015) के स्थान पर निगम के निम्नलिखित वैधानिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एसए) की नियुक्ति को लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों और पारिश्रमिक पर अनुमोदित करता है:

क्र. संख्या	लेखापरीक्षक का नाम	कैग पैनल नंबर	प्रधान कार्यालय	फर्म पंजीकरण संख्या (FRN)	नियुक्ति का कार्यकाल
1	मेसर्स आर सुब्रमण्यम एंड कंपनी एलएलपी	MD0068	चेन्नई	004137S / S-200041	3 साल के लिए, दूसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली 5वीं एजीएम के समापन तक
2	मेसर्स बोरकर और मजूमदार	BO0007	मुंबई	101569W	5 साल के लिए, दूसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2028 में आयोजित होने वाली 7 वीं एजीएम के समापन तक

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में निगम के निदेशक मंडल को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अवधि एवं नियमों और शर्तों और पारिश्रमिक के लिए निगम के लिए अन्य मंडल लेखापरीक्षकों (ओडीए) को नियुक्त करने/पुनः नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सहित) को उपरोक्त प्रस्तावों के संबंध में या आकस्मिक रूप से उठने वाले सभी प्रश्नों को हल करने के लिए अधिकृत किया जाता है। "

विशेष व्यवसाय:

- निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में श्री सिद्धार्थ मोहंती (डीआईएन: 08058830) की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (ए) और (बी) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के अनुसार, भारत सरकार की 28 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक और प्रभारी श्री सिद्धार्थ मोहंती की नियुक्ति निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में 29 अप्रैल, 2023 से 29 जून, 2024 तक एवं उसके पश्चात, 07 जून, 2025 तक निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में ₹ 2,25,000/- (निर्धारित) के वेतनमान पर 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले है, तदनुसार इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद द्वारा अनुमोदित किया गया है।"

6. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री जगन्नाथ एम. (डीआईएन: 10090437) की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के अनुसार, श्री जगन्नाथ एम. की नियुक्ति भारत सरकार की 13 मार्च, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में ₹ 2,05,400/- से ₹ 2,24,400/- के वेतनमान में 13 मार्च, 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक (यानी 31 मई, 2025), या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तदनुसार इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद द्वारा अनुमोदित किया गया है।”

7. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री तबलेश पांडे (डीआईएन: 10119561) की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के अनुसार, श्री तबलेश पांडे की नियुक्ति भारत सरकार की 13 मार्च, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में ₹ 2,05,400/- से ₹ 2,24,400/- के वेतनमान में 01 अप्रैल, 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति प्राप्त करने की तारीख तक (यानी 31 मई, 2025) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तदनुसार इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद द्वारा अनुमोदित किया गया है।”

8. निगम की तीन विदेशी शाखाओं में निधियों के विभाजन से छूट और अधिशेष वितरण नीति के कार्यान्वयन के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24 (2) के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम की तीन विदेशी शाखाओं नामतः एलआईसी यूके और एलआईसी मॉरीशस वित्त वर्ष 2022-23 के लिए और वित्त वर्ष 2022 के लिए एलआईसी फिजी के लिए धन के विभाजन और अधिशेष वितरण नीति के कार्यान्वयन से छूट के लिए सदस्यों की कार्योत्तर सहमति दी जाती है, जैसा कि बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई है।”

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24 (2) के प्रावधानों के अनुसरण में, भारतीय जीवन बीमा निगम की तीन शाखाओं नामतः वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एलआईसी यूके और एलआईसी मॉरीशस और वित्त वर्ष 2023 के लिए एलआईसी फिजी को धन के विभाजन और अधिशेष वितरण नीति के कार्यान्वयन से छूट दी गई है, जैसा कि बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई है।”

9. निगम के संबंधी पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के प्रावधानों एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 23 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, उसमें किए गए संशोधन, उपांतरण या पुनः अधिनियमन समेत तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम) की 'संबंधित पक्ष लेनदेन की नीति', जो समय-समय पर लागू हो और निगम की लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसार, सदस्यगण निदेशक मंडल को (जिनहें इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में जाना जाएगा, जिसमें लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त किसी भी विधिवत अधिकृत समिति), इस संकल्प द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुमोदन प्रदान करते हैं जिससे निगम को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सहयोगी कंपनियों/संबंधित पक्ष के साथ में अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेन-देन में प्रवेश करने के लिए और/ या पूर्ण करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन या एकाक लेनदेन को साथ लेकर या लेन-देन की श्रृंखला या अन्यथा), जोकि निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक वैध होगा, जिसकी अवधि पंद्रह महीने से अधिक की नहीं होगी। सहयोगी कंपनियों/संबंधित पक्ष संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार निगम की संबंधित पक्ष है, चाहे निरंतरता के माध्यम से या पहले के अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों का नवीनीकरण या विस्तार या संशोधन या नए और स्वतंत्र रूप में लेन-देन या अन्यथा जैसा कि निम्नलिखित है:

- गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र/किसी भी अन्य प्रतिभूतियों को जारी करना/सदस्यता लेना और उससे संबंधित लेनदेन;
- कोई भी अन्य अनुबंध/व्यवस्था या लेन-देन, जिसमें खर्चों की प्रतिपूर्ति और भुगतान शामिल है, जो कि यहीं तक सीमित नहीं है जैसा कि नाम उपयोग शुल्क और किसी भी अन्य लेन-देन का विवरण जैसा कि व्याख्यात्मक विवरण में दिया गया है

इस तथ्य के बावजूद की ऐसे सभी लेनदेन जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक जोकि पंद्रह महीने से अधिक की अवधि में नहीं होगी, सहयोगी (ओं) और / या संबंधित पक्ष (ओं) के साथ ₹1,000 करोड़ या वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार का 10% से अधिक हो सकते हैं, जो भी कम हो, या कोई अन्य भौतिकता सीमा जो समय-समय पर कानून/विनियमों के तहत लागू हो सकती है, बशर्ते कि संविदाएं/व्यवस्थाएं/लेन-देन हाथ की दूरी और निगम के सामान्य कारोबार के क्रम के निम्नसार किया जाएगा:

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित राशि और अगली एजीएम की तारीख तक
एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	प्रतिभूतियों/निवेशों की खरीद	लगभग ₹ 20,000 करोड़ तक

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल, एतद्वारा लागू कानूनों के अनुसार निगम की लेखापरीक्षा समिति और/या निदेशक (ओं) और/या अधिकारी (ओं) को प्रदान की गई अपनी सभी या किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत है। ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें और ऐसे दस्तावेजों, लेखों आदि को निष्पादित करना जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे।”

10. डॉ. मारुती प्रसाद तन्निराला (डीआईएन: 03609968), सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (डी) के अनुसार, डॉ. मारुती प्रसाद तन्निराला की नियुक्ति भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2023 के तहत निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव के साथ तदनुसार आगे के आदेश तक नियुक्ति की जाती है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है।”

11. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री सतपाल भानू की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के अनुसार, श्री सतपाल भानू की नियुक्ति भारत सरकार की 19 जुलाई, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में ₹ 2,05,400/- से ₹ 2,24,400/- के वेतनमान में 20 जुलाई, 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक (यानी 31 दिसम्बर, 2025), या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तक की गई है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद द्वारा अनुमोदित किया गया है।”

बोर्ड के आदेश द्वारा

भारतीय जीवन बीमा निगम हेतु

हस्ताक्षर/-

पवन अग्रवाल

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

(सदस्यता संख्या: एफसीएस 7744)

दिनांक: जुलाई 21, 2023

स्थान: मुंबई

केंद्रीय कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग,

नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021,

दूरभाष नंबर : 022 - 2202 2079

ईमेल: investors@licindia.com

वेबसाइट: www.licindia.in

नोट्स:

- 28 दिसंबर, 2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 के अनुसार, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र के साथ पठित परिपत्र संख्या 20/2020, 14/2020, 17/2020, 02/2021, 21/2021 एवं 03/2022 (सामूहिक रूप से “एमसीए परिपत्र” के रूप में संदर्भित) दिनांकित क्रमशः 05, मई 2020, 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 13 जनवरी, 2021 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (“एमसीए”) द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्र तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 को सेबी के परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 एवं SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 के साथ पढ़ा गया एवं इसके साथ पठित जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (“एलआईसी अधिनियम, 1956”/“एलआईसी अधिनियम”) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 (लागू सीमा तक), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 (“सेबी सूचीबद्धता विनियम”/“सेबी (एलआईसीआर) विनियम 2015”) के अनुसरण में निगम ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (“वीसी”) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (“ओएवीएम”) (इसके बाद “इलेक्ट्रॉनिक साधनों” के रूप में संदर्भित) के माध्यम से अपनी दूसरी एजीएम आयोजित करने का निर्णय लिया है।
- जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के अनुसरण में एक व्याख्यात्मक विवरण जो इस नोटिस (“सूचना”) के मद संख्या 3 से 11 के अंतर्गत निर्दिष्ट साधारण और विशेष व्यवसाय से संबंधित विवरण निर्धारित करता है, इसके साथ संलग्न है।
- जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसरण में, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक सदस्य को शामिल होने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को निगम का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए एजीएम स्थल, प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और मार्ग नकशा इस नोटिस में संलग्न नहीं है।**
- सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 36(3) के तहत विवरण और निदेशकों के संबंध में जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 एवं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के अनुसार दूसरी वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति/पुनः नियुक्ति की मांग को इस एजीएम के नोटिस के अनुलग्नक-क के रूप में संलग्न किया गया है जो व्याख्यात्मक विवरण का हिस्सा है। निगम को नियुक्ति/पुनः नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों से संगत प्रासंगिक प्रकटीकरण/सहमति प्राप्त हुई है।

5. सदस्य एजीएम में वीसी/ओएवीएम माध्यम से बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके शामिल हो सकते हैं। सदस्य, नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) कि ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर जीवंत कार्यवाही देख सकेंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश इस नोटिस कि टिप्पणियों का हिस्सा हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति कि गणना एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के अनुसार एवं उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों एवं आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के तहत गणपूर्ति की गणना करने हेतु की जाएगी।
 6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1,000 सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओ (प.अ.प.प.) के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में प.अ.प.प. के प्रवेश के कारण बड़े सदस्यों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों), प्रमोटरों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष, हितधारकों की संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षकों आदि के संबंध में कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
 7. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों को अपने प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान मतदान करने के लिए अधिकृत करते हुये बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की एक स्कैन की गई प्रमाणित सच्ची प्रति (पीडीएफ प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है। उक्त संकल्प/प्राधिकरण संवीक्षक को पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से snaco@snaco.net के साथ evoting@nsdl.co.in पर अंकित एक प्रति ईमेल द्वारा भेजा जाये।
 8. संयुक्त धारकों के मामले में, एक सदस्य जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार उनके नाम के क्रम में पहले धारक के रूप में आता है, एजीएम में वोट डालने का हकदार होगा।
 9. वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते 21 जुलाई, 2023 (मंगलवार) को व्यावसायिक समय की समाप्ति पर निगम/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डी.पी) के साथ पंजीकृत हैं। दूसरी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित करने की सूचना निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर अपलोड कर दी गयी है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों के संबंधित अनुभाग क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर देखा जा सकता है। यह नोटिस एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
 10. लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि:
 - क) एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28बी और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 42 के अनुसरण में, सदस्य ध्यान दें कि बोर्ड ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में ₹10 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 3 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 थी।
 - ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम लाभांश, दूसरी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद सदस्यों को 20 सितंबर, 2023 (बुधवार) तक यानी अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों / लाभकारी मालिकों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को व्यावसायिक समय की समाप्ति पर सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों में उपलब्ध हैं।
 - ग) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत बैंक विवरण, जिनके साथ वे अपने डीमैट खातों का रखरखाव करते हैं, निगम द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा। निगम बैंक विवरण या बैंक अधिदेश में किसी भी परिवर्तन के लिए डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्यवाही नहीं कर सकता है। अतः, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पते और/या बैंक अधिदेश में किसी भी बदलाव की सूचना के लिए तुरंत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करें।
 - घ) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे (i) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) अधिदेश पंजीकृत करें, जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (जैसे बैंक खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम और पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरण), (ii) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और (iii) निगम के आरटीए को रद्द किया गया चेक पत्र ईमेल द्वारा einward.ris@kfintech.com पर भेजे।
 - ङ) जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है, उनके लिए निगम किसी अन्य अनुमेय साधन के माध्यम से निगम के रिकॉर्ड में पंजीकृत पते पर लाभांश का भुगतान करेगा।
 - च) वित्त अधिनियम 2020 के अनुसरण में, 1 अप्रैल, 2020 से सदस्यों के हाथों में लाभांश आय कर योग्य है और निगम को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, कृपया वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधनों को देखें।
- एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है उसे पैन के साथ फॉर्म नंबर 15जी/15एच में एक घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) सहित अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके कर निवास के देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, जो आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने के अधीन हैं जैसे कि कोई स्थायी स्थापना का घोषणापत्र, लाभकारी स्वामित्व घोषणा, कर निवास प्रमाण पत्र, फॉर्म 10एफ, कोई अन्य दस्तावेज जो कर संधि लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है।
- इसके लिए शुक्रवार, 07 जुलाई, 2023 को सदस्यों को एक पत्र भेजा गया था, जिनका ईमेल पता निगम / रजिस्ट्रार / डीपी के साथ पंजीकृत था और उनसे शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को या उससे पहले आवश्यक जानकारी जमा करने का अनुरोध किया गया था।

11. भौतिक शेयरधारिता के संबंध में, धोखाधड़ी वाले लेन-देन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें और रजिस्ट्रार को अपने पते, टेलीफोन नंबर, ई-मेल आईडी, नामांकित व्यक्ति या संयुक्त धारकों में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करें, जैसा भी मामला हो।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या ('पैन') प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को पैन जमा करें, जिसके साथ वे अपने डीमैट खातों का रखरखाव कर रहे हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार (आरटीए) को अपना पैन विवरण जमा करें।

12. सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 40(1) के अनुसार, संशोधित रूप में, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को 1 अप्रैल, 2019 से केवल डिमटेरियलाइज्ड रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी ने 25 जनवरी, 2022 के अपने परिपत्र सं. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों को सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय केवल डीमैट रूप में प्रतिभूतियां जारी करने का अधिदेश दिया है जैसे डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाण पत्र जारी करना, अस्वामिक सरपेंस खाते से दावा, प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीकरण/विनियम, अनुमोदन, प्रतिभूति प्रमाण पत्र का उप-विभाजन/विभाजन, प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन, ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन।

इसके अलावा, यह ध्यान दें, कि किसी भी सेवा अनुरोध को केवल तभी संसाधित किया जा सकता है जब फोलियो केवाईसी अनुपालन हो। सेबी ने 24 जनवरी, 2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से यह अनिवार्य किया है कि ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन के लिए सभी अनुरोधों को केवल डिमटेरियलाइज्ड रूप में संसाधित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और अभौतिकीकरण के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे भौतिक रूप में अपने पास रखे गए शेयरों को अभौतिक बना दें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए निगम या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

13. जीवन बीमा निगम सामान्य विनियम, 2021 के विनियमन 9 के साथ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 5ई के प्रावधानों के अनुसरण में, शेयर रखने वाले सदस्य निर्धारित तरीके से, एक ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकते हैं, जिसे शेयरों में सभी अधिकार एकमात्र धारक या सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की स्थिति में निहित होंगे। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं।

14. पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड:

सेबी के 16 मार्च, 2023 के परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSDPoD-1/P/ CIR/2023/37 के अनुसरण में सेबी द्वारा जारी पूर्व के परिपत्रों संख्या SEBI/HO/ MIRSD/ MIRSD RTAMB /P/CIR/2021/655 और SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/CIR/2021/687 दिनांक 3 नवम्बर 2021 और 14 दिसम्बर 2021 की जगह जारी की गई है, सेबी ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों को भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर रिकॉर्ड करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। जिन फोलियो में उद्धृत दस्तावेजों/विवरणों में से कोई एक, 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।

फ्रीज हुए फोलियो में प्रतिभूतियां पात्र होंगी:

- ✓ ऊपर उल्लेखित पूर्ण दस्तावेजों / विवरणों को प्रस्तुत करने के बाद ही कोई शिकायत दर्ज करना या किसी भी सेवा का लाभ उठाना;
- ✓ लाभांश, ब्याज या मोचन राशि (जो केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा) सहित कोई भी भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र है, केवल तभी जब वे उपर्युक्त आवश्यकताओं का पालन करते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से आग्रह करते हैं कि वे जल्द से जल्द सहायक दस्तावेजों के साथ आवश्यक फॉर्म जमा करें। जिन सदस्यों के पास डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं और वे अपने पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन को अपडेट करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी से संपर्क करें। इसके अलावा, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि उनका पैन आधार से जुड़ा हुआ है ताकि फोलियो को फ्रीज करने से बचा जा सके। ऐसे फ्रीज किए गए फोलियो को आरटीए/निगम द्वारा 31 दिसंबर, 2025 के बाद बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकरण को भेजा जाएगा।

नोटिस जारी होने की तारीख तक, निगम ने भौतिक रूप में कोई शेयर जारी नहीं किया है।

15. सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28 सी के तहत, अस्वामिक लाभांश खाते में हस्तांतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए अस्वामिक या बिना दावे के शेष लाभांश की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ('आईईपीएफ') में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा, उन सभी शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकरण के नामित डीमैट खाते में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक दावा नहीं किया गया है/ अस्वामिक रहता है।

16. एजीएम के दौरान वैधानिक रजिस्ट्रारों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य या जो एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के संदर्भ में नोटिस में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहते हैं, वह investors@licindia.com पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

17. उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी / आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं हैं, इस नोटिस में निर्धारित प्रस्ताव पर ई-वोटिंग के लिए एवं उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी के पंजीकरण हेतु प्रक्रिया:

- (i) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वह <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> पर क्लिक करके या फोलियो नंबर के विवरण के साथ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न कर आरटीए को लिखकर अपने ईमेल को einward.ris@kfintech.com पते पर भेजकर पंजीकृत/अपडेट करें।

- (ii) यदि शेयर डीमैट रूप में रखे जाते हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लार्क मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति) einward.ris@kfintech.com को प्रदान करें। यदि आप डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप बिंदु संख्या 21 **चरण 1 (ए)** में बताई गई लॉगिन विधि का संदर्भ लें, यानी, **ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होने की विधि है।**
- (iii) वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान कराकर ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
- (iv) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।
18. एजीएम से पहले/दौरान रिमोट ई-वोटिंग:
- (i) एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसरण में, निगम को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को 'रिमोट ई-वोटिंग' (एजीएम के स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से ई-वोटिंग) दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए, निगम ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। एजीएम के दौरान दूरस्थ (रिमोट) ई-वोटिंग प्रणाली के साथ-साथ दूरस्थ ई-वोटिंग का उपयोग करके सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।
- (ii) 14 अगस्त, 2023 की कट-ऑफ तिथि पर भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करने वाले निगम के सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में केवल कट-ऑफ तिथि तक दर्ज किया गया है, वह एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग का लाभ उठाने का हकदार होगा। भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाला कोई भी गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक या शेयरधारक जो निगम के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस प्रेषण के बाद निगम का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख यानी 14 अगस्त, 2023 को शेयरधारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- (iii) डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक, जो निगम के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं और नोटिस प्रेषण के बाद निगम के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि यानी 14 अगस्त, 2023 को शेयरधारण करते हैं, वह बिंदु संख्या 21 में नीचे उल्लिखित लॉगिन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
- (iv) दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 18 अगस्त, 2023 को 0930 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी और सोमवार, 21 अगस्त, 2023 को 1700 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर मतदान किया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात 14 अगस्त, 2023 को निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।
- (v) एजीएम में वीसी कार्यवाही के दौरान सदस्यों को दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, अध्यक्ष द्वारा घोषणा पर ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा के अंत में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा प्रस्तावों पर अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन ऐसे प्रस्तावों पर फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। अपेक्षित मत प्राप्त होने के अध्यक्षीय, प्रस्तावों को बैठक की तारीख अर्थात 22 अगस्त, 2023 को पारित माना जाएगा।
- (vi) एजीएम के दिन रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को बैठक के समापन के 15 मिनट पश्चात मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
19. श्रीमती अपर्णा गाडगिल (सदस्यता संख्या एसीएस 14713) और उनके विफल होने पर, श्री विश्वनाथन एन.एस. (सदस्यता संख्या एसीएस 61955), मैसर्स एस एन अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को निगम के सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के साथ-साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एजीएम में मतदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। परीक्षक लागू कानूनों के तहत निर्धारित समय के भीतर ई-वोटिंग (एजीएम से पहले/दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोट) की जांच पूरी होने के बाद अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। परीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम को स्टॉक एक्सचेंजों, को सूचित किया जाएगा, जिस पर निगम के शेयर सूचीबद्ध हैं एवं एनएसडीएल और निगम की वेबसाइट, www.licindia.in में 'निवेशक संबंध' अनुभाग के अधीन भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसे निगम के केंद्रीय कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
20. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:
- (i) सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम प्रणाली से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। **एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली** की पहुंच के लिए सदस्य बिंदु संख्या 21 के तहत नीचे उल्लिखित चरणों का पालन करके अभिगम कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप निगम के नाम के सामने **“सामान्य बैठक में शामिल हों”** मेनू के तहत रखे गए “वीसी/ओएवीएम” का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य बैठक में शामिल होने वाले मेनू के तहत दिये गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां निगम का **EVEN (124695)** प्रदर्शित होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- (ii) सदस्य बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। सदस्यों को क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, एमएस

एज या फ़ायरफ़ॉक्स के नवीनतम संस्करण की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़े होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

- (iii) सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए, अपने पंजीकृत ईमेल पते से दूसरी एजीएम में रखे जाने वाले वित्तीय विवरण या किसी अन्य व्यवसाय के संबंध में अपने प्रश्न अग्रिम रूप से investors@licindia.com पर गुरुवार, 17 अगस्त, 2023 (0930 बजे) से रविवार, 20 अगस्त, 2023 (1700 बजे) तक भेज सकते हैं। सदस्यों द्वारा भेजे गए ऐसे प्रश्नों का निगम द्वारा उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।
- (iv) जो सदस्य बैठक में वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपीआईडी एवं क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए investors@licindia.com पर गुरुवार, 17 अगस्त, 2023 (0930 बजे) से रविवार, 20 अगस्त, 2023 (1700 बजे) के बीच एक अनुरोध भेजकर अपना पूर्व पंजीकरण करा सकते हैं। एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर निगम, वक्ताओं की संख्या को संरक्षित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, वे श्री संजीव यादव, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से [sanjeevy@nsdl.co.in](mailto:sanjevy@nsdl.co.in)/ 022-4886 7000 या 022-2499-7000 पर संपर्क कर सकते हैं।

21. दूरस्थ ई-वोटिंग और वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल होने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 18 अगस्त, 2023 को 0930 बजे शुरू होती है और सोमवार, 21 अगस्त, 2023 को 1700 बजे समाप्त होती है। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम रिकॉर्ड तिथि (कट-ऑफ तारीख) यानी 14 अगस्त, 2023 को सदस्यों/लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का मतदान का अधिकार 14 अगस्त, 2023 को कट-ऑफ तिथि को निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कैसे करूँ?

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के तरीके में तदो चरण शामिल हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच

ए) डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वचुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	- एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट यानी https://eservices.nsdl.com पर मौजूदा आईडीईएस उपयोगकर्ता अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से जा सकते हैं। ई-सेवाओं के होम पेज पर 'लॉगिन' के तहत 'लाभकारी स्वामी' आइकन पर क्लिक करें जो 'आईडीईएस' अनुभाग के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत 'एक्सेस टू ई-वोटिंग' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वचुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर फिर से निर्देशित किया जाएगा। - यदि आप आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। तआईडीईएस पोर्टल 'के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें' चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। - एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्न URL लिखकर वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/। एक बार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, आइकन 'लॉगिन' पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक / सदस्य' अनुभाग के तहत उपलब्ध है। इसके बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट अकाउंट नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा जिसमें आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वचुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा।

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
	4. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप 'एनएसडीएल स्पीड' सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on  App Store  Google Play  
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	- जिन उपयोगकर्ताओं ने ईजी/ईजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज तक पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईजी/ईजीएस्ट में लॉगिन करने के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login पर या www.cdslindia.com पर, न्यू सिस्टम माईईजीपर क्लिक करें। - ईजी/ईजीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई वोटिंग मेनू भी देख पाएंगे। मेन्यू में ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर यानी एनएसडीएल का लिंक दिया होगा। अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें। - यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। - वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी यानी एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर आप ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करके, आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दों के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए सहायताडेस्क।

लॉगिन प्रकार	सहायताडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-4886 7000 और 022-2499-7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या 022- 23058738 या 022-23058542-43 पर संपर्क करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

बी) डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और वर्चुअल बैठक में शामिल होने हेतु लॉगिन पद्धति।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

- एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न URL लिखकर वेब ब्राउजर खोलें: <https://www.evoting.nsdl.com/>।
- एक बार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, आइकन ठालॉगिन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के तहत उपलब्ध है।
- इसके बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक वेरिफिकेशन कोड डालना होगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसेज यानी आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

4. आपका यूजर आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर रखने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या फिजिकल	आपकी उपयोगकर्ता आईडी है:
क) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता ID IN300***12*****
बी) उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता ID 12*****
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	EVEN नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और EVEN vebyej 101456 है तो उपयोगकर्ता आईडी 101456001*** है

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:

- क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनर्प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनर्प्राप्त करते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करने की आवश्यकता होती है और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।
- ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?
- यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। अपने मेलबॉक्स से NSDL से आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाएं। ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी एक PDF फाइल खोलें। PDF फाइल खोलने के लिए पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। PDF फाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता ID' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' है।
 - यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया **उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।**
6. यदि आप ठप्रारंभिक पासवर्ड पुनर्प्राप्त करने में असमर्थ हैं या प्राप्त नहीं हुए हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
- www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प **उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड भूल गए?** पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं)।
 - www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प **भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?** पर क्लिक करें (यदि आप भौतिक मोड में शेयर रख रहे हैं) विकल्प है।
 - यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, अपने पैन, अपने नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
 - एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए सदस्य ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके ठनियम और शर्तों पर टिक करें।
8. अब, आपको ठलॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा।
9. ठलॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर सामान्य बैठक में शामिल हों।**इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर सामान्य बैठक में शामिल हों?**

- चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों "EVEN" को देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनकी मतदान चक्र और सामान्य बैठक सक्रिय स्थिति में है।
- उस कंपनी के "EVEN" का चयन करें जिसके लिए आप दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको "सामान्य बैठक में शामिल हों" के तहत रखे गए "वीसी / ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
- उपयुक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट डालें, यानी सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित / संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत दिए जाने पर "सबमिट" और "पुष्टि" पर क्लिक करें।
- पुष्टि होने पर, संदेश "सफलतापूर्वक वोट डालें" प्रदर्शित किया जाएगा।
- आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के दौरान ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

- एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
- केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के योग्य नहीं होंगे।
- एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति का विवरण समान होगा।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

- यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसी घटना में आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विविध **उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड भूल गए?** या **भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?** पर जाना आवश्यक होगा।
- किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-4886 7000 और 022-2499-7000 पर कॉल कर सकते हैं या निर्दिष्ट ई-मेल आईडी पर एनएसडीएल के सहायक प्रबंधक श्री संजीव यादव को अनुरोध भेज सकते हैं: [sanjeevy@nsdl.co.in](mailto:sanjeivy@nsdl.co.in) और / या evoting@nsdl.co.in।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण:
मद संख्या 3

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28 बी के अनुसार, निगम के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में ₹10 प्रत्येक अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ 3 अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो वार्षिक सामान्य बैठक में निगम के सदस्यों द्वारा घोषणा के अधीन है। यह 5.22% के लाभांश भुगतान अनुपात में अनुवाद करता है। यह 24 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया था।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे सूचना (नोटिस) में निर्धारित मद संख्या 3 के अंतर्गत निहित प्रस्ताव को अपनाएं।

मद संख्या 4

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22 के साथ-साथ जीवन बीमा अधिनियम, 1956 ("एलआईसी अधिनियम, 1956") की धारा 25 के अनुसार और सांविधिक लेखापरीक्षकों और अन्य मंडल लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के प्रावधानों (समय-समय पर संशोधित, किसी भी नाम से निगम के बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षकों के चयन पर अनुमोदित नीति) के अनुसार निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

निगम के दो सांविधिक लेखापरीक्षक (एसए) अर्थात् मेसर्स आरजीएन प्राइस एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण संख्या: 002785एस) और मेसर्स एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी (फर्म पंजीकरण संख्या: 105016डब्ल्यू/डब्ल्यू-100015), 22 अगस्त, 2023 को होने वाली निगम की दूसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के समापन पर सेवानिवृत्त होते हैं।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के पूर्वगामी प्रावधानों के अनुसरण में और लेखापरीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर निगम ने 24 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित फर्मों को निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है:

क्र. संख्या	लेखा परीक्षक का नाम	कैग पैनल नंबर	प्रधान कार्यालय	फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन)	नियुक्ति का कार्यकाल
1	मेसर्स आर सुब्रमण्यम एंड कंपनी एलएलपी	MD0068	चेन्नई	004137S / S-200041	3 साल के लिए, दूसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली 5वीं एजीएम के समापन तक
2	मेसर्स बोरकर और मजूमदार	BO0007	मुंबई	101569W	5 साल के लिए, दूसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2028 में आयोजित होने वाली 7 वीं एजीएम के समापन तक

मेसर्स आर सुब्रमण्यम एंड कंपनी एलएलपी, चेन्नई (फर्म पंजीकरण संख्या: 004137एस/एस-200041) ने निगम के संभागीय लेखापरीक्षक के रूप में दो साल पूरे कर लिए हैं और दूसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली 5 वीं एजीएम के समापन तक 3 वर्षों की शेष अवधि के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है, जो एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों एवं इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुरूप है।

मेसर्स आर सुब्रमण्यम एंड कंपनी एलएलपी, चेन्नई (फर्म पंजीकरण संख्या: 004137एस/एस-200041) और मेसर्स बोरकर एंड मजूमदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुंबई (फर्म पंजीकरण संख्या: 101569डब्ल्यू) ने उक्त नियुक्ति के लिए सहमति व्यक्त की है और पुष्टि की है कि यदि उनकी नियुक्ति की जाती है, तो लागू कानूनों के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होगी।

तदनुसार, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए अन्य निबंधन और शर्तों एवं पारिश्रमिक को अनुमोदित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है। एसए के रूप में नियुक्त होने के लिए प्रस्तावित फर्मों के नाम एजीएम नोटिस के मद संख्या 4 के तहत निहित प्रस्ताव में दिए गए हैं।

इसके अलावा, एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार निगम के अन्य मंडल लेखापरीक्षकों (ओडीए) की नियुक्ति और/या पुनः नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करने और लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर नियुक्ति के लिए उनके निबंधन और शर्तों एवं पारिश्रमिक को अनुमोदित करने का भी प्रस्ताव है।

निगम के निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से कोई भी या उनके रिश्तेदार उक्त प्रस्ताव में किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

बोर्ड एजीएम सूचना (नोटिस) के मद संख्या 4 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।